समाहरणालय, भागलपुर।

(जिला योजना कार्यालय)

–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत भागलपुर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों / डिग्री महाविद्यालयों में प्रायोगिक उपकरणों / उपस्करों के कय एवं अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा की गयी है, तदोपरांत प्रायोगिक उपकरणों / उपस्करों के कय करने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों / वितरकों / विकेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 14.02.2020 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, भागलपुर में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकते है। उसी दिन जिला कय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में 4:00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

इच्छुक निविदादाता जिला योजना कार्यालय, भागलपुर से कय की जाने वाली सामग्रियों की सूची की छायाप्रति कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर प्राप्त कर सकते है। निविदा की सभी शर्त्ते जिला के वेबसाईट http://bhagalpur.nic.in पर देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा संबंधी शर्ते:

1. निविदा के साथ 50000.00 (पचास हजार) रुपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी, जो जिला योजना पदाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से भुगतेय होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र Shop & Establishment की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा / उधोग विभाग से पंजीकृत होने अथवा ट्रेड लाईसेन्स संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता अगर लिमिटेड कम्पनी अथवा फर्म है तो फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र एवं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिक्लस संलग्न करना होगा।
4. यदि फर्म साझेदारी में है तो साझेदारी संबंधी डीड की प्रति संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी लिफाफा में निविदादाता को स्वयं अभिप्रमाणित जी0एस0टी0 में निबंधन प्रमाण पत्र एवं **जी0एस0टी0 का अद्यतन रिर्टन** (दिसम्बर, 2019 तक) संलग्न करना होगा।
6. पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा। साथ ही तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की प्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को तीन वर्षो का किसी निबंधित चार्टड एकाउन्टेट से सत्यापित पी0एल0 एकाउंट का बैलेंस सीट संलग्न करना होगा, जिसका वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।
8. निविदा में भाग लेने वाले फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO 9001 : 2015 का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ – पत्र मूल प्रति में देना होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते:

- वित्तीय निविदा के लिफाफा में उपलब्ध / अनुशंसित सूची के अनुसार सभी सामग्री का नाम ब्रांड / कम्पनी का नाम, Specification एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित महाविद्यालयों में पहुँचाकर देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते:

1. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर सामग्रियों का नमूना दिखाना पड़ेगा।
3. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर प्रायोगिक उपकरणों / उपस्करों की आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुँचा कर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी। निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
4. यह निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।
5. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा का रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. किसी भी तरह का विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
7. आपूर्ति की गयी सामग्रियों की जाँच तकनीकी विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

उप विकास आयुक्त
भागलपुर।